शिक्षाचार्य (एम्.एड्.)

एन.टी.ए. द्वारा आयोजित सीयूईटी-पीजी 2023

प्रवेश परीक्षा (ACQP02)

निर्देशिका

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन (संसद के अधिनियम द्वारा संस्थापित)

56-57 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, (डी-ब्लाक) जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058

फोन न. 011-28521258, वेबसाइट - www.sanskrit.nic.in ईमेल – exams@csu.co.in

विषयानुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1.	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय	3
2.	शिक्षाचार्य (एम्.एड्.) में प्रवेश के लिए योग्यता	3
3.	शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थान संख्या	4
4.	आरक्षण	4
5.	आरक्षित श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी	5
6.	शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा-2023 हेतु दिनांक और समय	5
7.	परीक्षा केन्द्र	6
8.	अत्यावश्यक सूचना	6
9.	प्रवेशार्थ काउन्सलिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्देश	6
10.	ऑनलाइन– आवेदन पूरण के पहले ध्यातव्य तथ्य	7
11.	परीक्षा की अवधि एवं परीक्षा सम्बद्ध सूचना	7
12.	प्रश्नपत्र एवं परीक्षण की रूपरेखा	8
13.	मूल्याङ्कन विधि	8
14.	परीक्षा परिणाम सम्बद्ध विशेष सूचना	8
15.	शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा – 2023 का पाठ्यक्रम	8
16	प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उदाहरण	9

1. केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

संस्कृत आयोग 1956 की अनुशंसाओं के अनुसार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान की संस्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण देश में संस्कृत शिक्षा, शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रचार करना और संरक्षित करना है। यह पूरी तरह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान को 7 मई, 2002 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। तत्कालीन राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) को केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 (2020 की संख्या 5) के अन्तर्गत संसद द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के रूप में पारित किया गया है। महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदनोपरांत 30 अप्रैल, 2020 से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के रूप में कार्य आरम्भ किया।

यह विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ का सदस्य है तथा राष्ट्रीय मूल्याङ्कन प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा 'ए' श्रेणी प्राप्त है। देश के विभिन्न भागों में स्थित इसके परिसरों में प्राक्शास्त्री से लेकर आचार्य/विद्यावारिधि (Ph.D.) पर्यन्त अध्ययन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके नौ परिसरों में द्विवर्षीय शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस शैक्षिक सत्र 2023-24 से शिक्षाशास्त्री कक्षा में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा सञ्चालित **नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA)** के माध्यम से शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा संचालित की जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा द्विवर्षीय शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम भी कतिपय परिसरों में संचालित किया जाता है। शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्तर पर **नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA)** द्वारा प्रश्नपत्र कोड **ACQP02 के साथ** शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।

2. शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा 2023 के लिये योग्यता

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा शिक्षाशास्त्री अथवा बी.एड्. (संस्कृतशिक्षण विषय सहित) में कम से कम 50 प्रतिशत अंक अवश्य होने चाहिए।
- अर्हता परीक्षा में प्रविष्ट छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।
- केन्द्र शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य अप्रगतजाति तथा अन्यथा सक्षम वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रवेश योग्यता में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

प्रवेश के समय आवेदन के साथ अर्हता-परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण संलग्न होना चाहिए। यदि परीक्षा फल घोषित न हुआ हो तो प्रवेश के समय साक्षात् अथवा गोपनीय परिणाम से सम्बन्धित प्रमाणपत्र जमा करने पर ही प्रवेश दिया जाएगा अन्यथा प्रवेश की अर्हता निरस्त हो जायेगी।

चयन विधि

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप एन.टी.ए. द्वारा **सीयूईटी-पीजी 2023** के अन्तर्गत प्रश्नपत्र कोड **ACQP02** के साथ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए का आयोजन किया जा रहा है। **प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने से पूर्व सभी अभ्यर्थी एन.टी.ए. द्वारा जारी किये गये सभी निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें और प्रत्येक स्तर पर सावधानी से समस्त जानकारियों का अनुसरण करेंगे।**

शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी छात्रों को निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अनुरूप आवेदन करना होगा। आवेदन के उपरान्त एन.टी.ए द्वारा निर्धारित विभिन्न केन्द्रों पर आवेदकों को कम्प्यूटर-आधारित-परीक्षण (CBT) के माध्यम से परीक्षा देनी होगी। चयन मापदण्डों के अनुरूप प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को पुनः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के विभिन्न परिसरों में अध्ययनार्थ **काउन्सलिंग** के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

काउन्सलिंग हेतु आवेदन करते समय प्रत्येक छात्र को केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्दिष्ट परिसरों में प्रवेश के लिए अधिकाधिक तीन वरीयता क्रम से अपनी पसन्द का उल्लेख करना होगा, जिस वरीयता क्रम में वह परिसर में प्रवेश लेना चाहता है। इच्छित परिसर में स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में वरीयता क्रमानुसार किसी अन्य परिसर में प्रवेश दिया जा सकेगा। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर वरीयता सूची बनाई जाएगी। सफल छात्रों की जानकारी तदनुसार वेबसाइट पर यथासमय अपलोड की जाएगी।

3. शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थान संख्या

विश्वविद्यालय में शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध स्थान संख्या 150 (एक सौ पचास) है।

परिसर का नाम	उपलब्ध स्थान
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर, जयपुर	50
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, भोपाल परिसर, भोपाल	50
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री सदाशिव परिसर, पुरी	50

नोट- संबद्ध परिसर में प्रवेश देना अथवा निरस्त करना विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के अधीन है।

4. आरक्षण

विभिन्न प्रवेशार्थियों हेतु भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था निम्नलिखित है -

- अनुसूचित जाति के लिए 15%
- अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%
- अन्य पिछड़े वर्ग के लिए (केन्द्र सरकार की सूची के अनुसार) 27%
- अन्यथा सक्षम /प्रज्ञाचक्षु के लिए 3%

- युद्ध/सैनिक संघर्ष में घायल /मृत व्यक्तियों के बच्चों /विधवाओं के लिए 3%
  (प्रमाणपत्र में हत/ आहत अवस्था का स्पष्ट उल्लेख अपेक्षित है।)
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रतिभाग प्राप्त खिलाड़ियों के लिए 2%
- आर्थिक रूप से कमजोर के लिए (EWS) 10%
- अन्तर्राष्ट्रीय, पूर्वोत्तर राज्यों (NER) एवं जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों, एकल बालिका सन्तान विद्यार्थियों के लिए आरक्षण 5%

उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदक परिसर में प्रवेश के समय अपने आरक्षित श्रेणी विधिवत् विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। विश्वविद्यालय के परिसरों के लिए आरक्षण निर्धारण केन्द्रीय स्तर पर ही होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थान अपरिवर्तनीय रहेंगे । इतर वर्ग के आरक्षित स्थान इस नियम में नहीं आयेंगे।

5. आरक्षित श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी

- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के लिए - जिला मेजिस्ट्रेट/सबडिविजिनल मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/एम.आर. ओ.।
- अन्यथा सक्षम प्रत्याशियों के लिए - मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (CMO), राजकीय जिला चिकित्सालय। (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता को आरक्षण दिया जायेगा।)
- सशस्त्र सैनिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए - सचिव थल नौसेना/वायुसेना बोर्ड।

6. शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा-2023 हेतु दिनांक और समय

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षाचार्य में प्रवेशार्थियों के लिए एन.टी.ए. सीयूईटी-पीजी 2023 के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में निर्धारित केन्द्रों पर द्विवर्षीय शिक्षाचार्य (बी.एड्.) पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। प्रवेश परीक्षा की दिनांक एवं समय की घोषणा NTA द्वारा होनी है। योग्यता रखने वाले छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए अधोलिखित वेबसाइट पर निर्धारित अवधि में ऑनलाइन-आवेदन कर सकते हैं -

https://cuet.nta.nic.in/

साक्षात् पञ्जीयन के लिए आवेदन प्रक्रिया हेतु –

https://examinationservices.nic.in/examsys23/Root/home.aspx?enc=WPJ5WSCVWOMNiXoyyomJgHJ9FVBANu9iDOjdCzhgilL9GRm8nW4Arp/9qoHdg7fj

प्रमुख दिनाङ्क

- प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया - 20 मार्च 2023 से 19 अप्रैल 2023 तक (05.00 PM पर्यन्त)

- आवेदन का शुल्क-समर्पण - 19 अप्रैल 2023 (11.50 PM पर्यन्त)
- आवेदित आवेदन में अपेक्षित संशोधनार्थ अवसर - 20 अप्रैल 2023 से 23 अप्रैल 2023 तक
- प्रवेशपत्र प्राप्त करने की तिथि - यथासमय एन.टी.ए.द्वारा घोषणा की जाएगी।
- परीक्षा दिनाङ्क - यथासमय एन.टी.ए.द्वारा घोषणा की जाएगी।
- परीक्षा समय - यथासमय एन.टी.ए.द्वारा घोषणा की जाएगी।

अभ्यर्थी कृपया आवेदन एवं प्रवेश-प्रक्रिया से सम्बद्ध समस्त महत्त्वपूर्ण दिनांकों के विषय में एन.टी.ए. द्वारा जारी की जानी सूचनाओं को यथासमय एन.टी.ए. की बेवसाइट के माध्यम से जागरुक रहें। आवेदन एवं प्रवेश प्रक्रिया के विषय में एन.टी.ए. का ही अन्तिम निर्णय होगा।

7. परीक्षा केन्द्र

एन.टी.ए. द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र का चयन छात्र द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किया जाएगा । केन्द्र निर्धारण आदि के सम्बन्ध में एन.टी.ए. द्वारा प्रकाशित नियमावली का सावधानी से अवलोकन कर ले। अभ्यर्थी को चुने गये केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी ।

8. अत्यावश्यक सूचना

- आवेदन प्रक्रिया से पूर्व एन.टी.ए. द्वारा जारी निर्देशिका तथा इस निर्देशिका को ध्यान से पढ़ना अपेक्षित है।
- सीयूईटी-पीजी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन ध्यान से भरें । गलत एवं त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना का सत्यापन परीक्षा और प्रवेश के समय होगा।
- किसी भी प्रकार की सूचना प्रमाणित न होने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा से वंचित करना/ प्रवेश निरस्त करना भी इसमें शामिल है।
- एन.टी.ए. द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

9. प्रवेशार्थ काउन्सलिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्देश

प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिसर का चयन करने के लिए आवेदन करेंगे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एतदर्थ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउन्सलिंग आवेदन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित निर्देशों के अनुरूप से कर सकेंगे। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण तथा निश्चित तिथि के बाद किए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे । शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही वरीयता क्रम से शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश पा सकेंगे। यह वरीयता सूची केवल वर्ष 2023 में प्रवेश के लिए ही मान्य होगी । प्रवेशोपरान्त स्थानान्तरण की अनुमति नहीं होगी तथा प्रवेशोपरान्त शुल्क भी नहीं लौटाया जाएगा । इस निर्देशिका को ध्यान से पढ़ें और तभी आवेदन करें, जब आप इस के लिए अपने को अर्ह पायें ।

परिसर में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया के समय ध्यान रखें कि -

- ऑनलाइन आवेदन में नवीनतम दिनांक अंकित छायाचित्र एवं हस्ताक्षर अपलोड होना चाहिए ।
- प्रार्थी शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा - 2023 में प्रवेश के लिए निर्धारित आवेदन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेबसाईट से प्राप्त कर सकते हैं।
- निश्चित तिथि के बाद किए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
- शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही वरीयता क्रम से शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में निर्धारित परिसर में प्रवेश पा सकेंगे।
- यह वरीयता सूची केवल वर्ष 2023 के लिए ही मान्य होगी।

10. ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उल्लेखनीय बिन्दु

- केवल अर्ह अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा और काउन्सलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता के अभाव में भी शिक्षाचार्य प्रवेशपरीक्षा में सम्मिलित हो जाता है तो वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसके परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा।
- शिक्षाचार्य का पाठ्यक्रम एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक परिसर में निर्धारित स्थान के अनुसार वरीयता क्रम से ही प्रवेश दिया जायेगा।
- प्रवेशार्हता की जांच, क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय, आरक्षणादि का निश्चय आदि का अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय के अधीन हैं।
- प्रवेश के विषय में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय ही अन्तिम होगा।
- न्यायिक विषयों में दिल्ली उच्च न्यायालय का ही क्षेत्रधिकार होगा।
- पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

11. परीक्षा की अवधि एवं परीक्षा सम्बद्ध सूचना

- परीक्षा हेतु एन.टी.ए. की नियमावली का सावधानी पूर्वक अध्ययन अपेक्षित है।
- परीक्षा की अवधि 2:00 घण्टे है, जो एक निर्धारित समयावधि स्लोट (Slot) के रूप में निर्धारित की जाएगी।
- शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी कम्प्यूटर-आधारित परीक्षण (CBT) के माध्यम से परीक्षा देंगे। एतदर्थ कम्प्यूटर परिचालन का अभ्यास अवश्य कर लें।
- शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा में अवैध साधनों का प्रयोग करने वाले अथवा किसी से सहायता लेने या देने वाले या अनुशासन भंग करने वाले परीक्षार्थी को केन्द्राध्यक्ष परीक्षा से निष्कासित कर सकते हैं, उन्हें यथाविधि दण्ड भी दिया जा सकता है ।

- यदि किसी के छायाचित्र में विषमता पायी जाती है और सन्देह होता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा से निलम्बन अथवा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए अभ्यर्थी छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।
- परीक्षा भवन में कैलकूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्मार्ट घडी इत्यादि साधनों का उपयोग सर्वथा वर्जित है।

12. प्रश्नपत्र एवं परीक्षण की रूपरेखा

सङ्गणक-आधारित शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा बहुविकल्पात्मक प्रश्नपत्र के द्वारा होगी। इस प्रश्नपत्र के दोंनो खण्डों में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में निम्नलिखित दो खण्ड होंगे –

- **खण्ड 'अ' – शिक्षण सम्बद्ध सामान्यज्ञान (General Knowledge related to Education)** (25 बहुविकल्पीय प्रश्न)
- **खण्ड-'ब'**
  - **भाग 1 – संस्कृत भाषा दक्षता (Proficiency in Sanskrit Language)** (25 बहुविकल्पीय प्रश्न)
  - **भाग 2 – संस्कृत शिक्षण (Teaching of Sanskrit)** (25 बहुविकल्पीय प्रश्न)
  - **भाग 3 – शिक्षामनोविज्ञान (Educational Psychology)** (25 बहुविकल्पीय प्रश्न)

प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिनमें केवल एक ही समुचित उत्तर होगा। केवल एक सही उत्तर को चुनकर तथा सङ्गणक की स्क्रीन पर दर्ज करना होगा।

13. मूल्याङ्कन विधि

शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम का माध्यम संस्कृत है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए अधोलिखित निर्देश ध्यातव्य हैं-

- खण्ड 'अ' एवं खण्ड 'ब'- दोंनो खण्डों के कुल प्राप्ताङ्कों (100 अङ्कों) की समान रूप से गणना करते हुए उत्तीर्णता सूची निर्धारित की जाएगी।
- सी.यू.ई.टी-पी.जी. 2023 प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा निर्मित वरीयता सूची के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।
- शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ **अर्हता हेतु सूची** अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्राप्ताङ्कों की वरीयता एवं अन्य सम्बद्ध नियमों के अनुरूप निर्मित की जाएगी।

14. परीक्षा परिणाम सम्बद्ध विशेष सूचना

- प्रवेश परीक्षा के परिणाम की वरीयता सूची अखिल भारतीय स्तर पर होगी।
- विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- प्रवेश के बाद एक परिसर से दूसरे परिसर में स्थानान्तरण नहीं होगा।

15. शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा - 2023 का पाठ्यक्रम

प्रवेश परीक्षा कूटसंख्या - ACQP02

पाठ्यक्रम

1. PART (25 Questions)

SECTION - 1 – शिक्षणसम्बद्धसामान्यज्ञानम् (General Knowledge related to Education) [25 Questions]

शिक्षासंस्थाः CSU New Delhi, NSU Tirupati, SLBSNSU, New Delhi, MHRD, UGC, NCTE, NCERT, NUEPA, ICSSR, DIET, etc., भारतीयसंविधानम्, शिक्षानीतिः, शिक्षागतसमस्याः, शिक्षाप्रकाराः, अध्यापकशिक्षा सेवाकालिकप्रशिक्षणम्, विभिन्नशिक्षायोगाः, केन्द्रिकपाठ्यक्रमः (Core Curriculum), दूरशिक्षा, पर्यावरणशिक्षा, राष्ट्रियसाक्षरताभियानम्, प्रौढशिक्षासंस्थाः, क्रियात्कमकमनुसन्धानम्, राष्ट्रियोच्चशिक्षाभियानम् (RUSA), माध्यमिकशिक्षाभियानम् (RMSA), शिक्षायाः सार्वभौमीकरणम् (UEE), मूल्यशिक्षा।

PART - B (75 Questions)

SECTION - 1 संस्कृतभाषादक्षता (Proficiency in Sanskrit Language) [25 Questions]

माहेश्वरसूत्राणि प्रत्याहारनिर्माणञ्च, सन्धिः, समासप्रक्रिया, कारकाणि, उपपदविभक्तयः, लकारप्रयोगः, प्रक्रियाः णिच्, सन्, कृत्प्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययः, स्त्रीप्रत्ययाः - टाप्, ङीप्, ङीष्।

SECTION - 2 संस्कृतशिक्षणम् (Teaching of Sanskrit) [25 Questions]

संस्कृतशिक्षणम्, विभिन्नाः उपागमाः, पाठ्यपुस्तकसम्प्रत्ययः, शिक्षणपद्धतयः उद्देश्यम्, सोपानानि, श्रव्यदृश्योपकरणानि, पाठ्यसहगामिक्रियाः, पाठयोजनासोपानानि

SECTION - 3 – शिक्षामनोविज्ञानम् (Educational Psychology) [25 Questions]

मनोविज्ञानपरिभाषा, मनोविज्ञानसम्प्रदायाः, बालानाम् अवस्थागतविशेषताः, अधिगमसंप्रत्ययः विशेषताश्च, अभिप्रेरणा तस्याः विशेषताः, बुद्धिः तदीयाः सिद्धान्ताः च, व्यक्तित्वस्यार्थः, प्रकृतिः, मापनम्, मानसिकस्वास्थ्यम्, विशिष्टबालकाः, सांख्यिकी।

16. प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उदाहरण

PART-A

Section 1 - शिक्षणसम्बद्ध सामान्यज्ञान

1. प्रायोजनाविधेः दार्शनिकः आधारः विद्यते -

1. आदर्शवादः	2. प्रकृतिवादः
3. यथार्थवादः	4. प्रयोजनवादः

उत्तरम् - प्रयोजनवादः

2. 5-ई इति रचनावादिप्रतिमाने इदं प्रथमसोपानम् अस्ति -

1.	अन्वेषणम्	2.	संलग्नता
3.	व्याख्या	4.	मूल्याङ्कनम्

उत्तरम् - संलग्नता

PART B

SECTION - 1 संस्कृत भाषा दक्षता

3. 'विद्यावान्' अस्मिन् पदे अयं प्रत्ययः अस्ति -

1.	वतुप्	2.	इमतुप्
3.	मतुप्	4.	वति

उत्तरम् - वतुप्

4. 'द्वित्राः' अत्र समासः अस्ति -

1.	बहुव्रीहिः	2.	तत्पुरुषः
3.	द्विगुः	4.	द्वन्द्वः

उत्तरम् - बहुव्रीहिः

SECTION - 2 संस्कृत शिक्षण

5. व्याकरणशिक्षणाय अयं विधिः उपयुक्तः -

1.	व्याख्याविधिः	2.	दण्डान्वयः
3.	आगमन-निगमनविधिः	4.	खण्डान्वयः

उत्तरम् - आगमन-निगमनविधिः

6. अन्वयविधेः वर्णनं प्राप्यते -

1.	अन्वयप्रबोधे	2.	अन्वयदीपिकायाम्
3.	अन्वयप्रकाशे	4.	अन्वयशास्त्रे

उत्तरम् – अन्वयप्रबोधे

SECTION – 3 – शिक्षामनोविज्ञान

7 अधिगमदिशा व्यवहारवादी अयं नास्ति -

1.	स्किनर्	2.	थोर्नडाइक्
3.	पॉवलव्	4.	पियाजे

उत्तरम् - पियाजे

8. अधिगमे प्रबलनसिद्धान्तस्य प्रतिपादकोऽयं विद्यते -

1.	स्किनर्	2.	थोर्नडाइक्
3.	पॉवलव्	4.	पियाजे

उत्तरम् - स्किनर्

उपर्युक्त मार्गदर्शिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं संशोधन माननीय कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन रहेगा।